न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 07/2021

वादी :-

1. जीवणराम पुत्र स्व. हराराम जाति निवासी बडा बास ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. नारायणराम पुत्र हराराम
2. भीयाराम पुत्र हराराम
3. लिछमणराम पुत्र हराराम
4. सुवा पत्नी भीयाराम
5. हारकी पत्नी जसाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिंति :- वादी - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :-** 18/07/14

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है। राजस्व ग्राम बीनावांस तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 3.9156 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.9642 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 25 है। जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 121 की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 1/45 यों हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 121 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 9.2145 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 9.3520 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 386 है। जो वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 1/144 वां हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4, 6 से 9, 11 से 14, 16, 18, 19, 21 से 30, 34, 36 से 38, 40 से 45, 47, 48, 52, 53, 55 से 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71 से 84, 86 से 93, 97, 102 से 106, 111 से 120, 122 से 137 व 151 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 8.6482 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 8. 7210 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 222 है। जो वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा य सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 1/20 व० हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 5, 7 से 10, 13, 14, 16 से 19, 21 से 26, 28, 29, 32, 36, 37, 41, 43, 45 से 49, 51, 52, 57, 59, 62, 63, 66, 67, 74 से 78, 86, 89, 90, 96, 102, 105, 106, 109, 110, 115 से 119, 122, 124, 126, 129, 137 से 149 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि सी से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बीनावांस तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0. 4045 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 7.8473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/2 रकबा 0.5663 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.8262 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 383 है। जो वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 1/15 व० हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 40, 42, 44, 46, 67, 69, 91, 95, 97, 103, 119, 121, 125, 150 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि डी से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 13.5588 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 2.8234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 2.2409 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 18.6231 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 232 है। जो वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें यादी का 1/5 वां हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94 व 119 का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ई से संबोधित किया जायेगा। वादी व प्रतिवादी संख्या 46 नारायणराम, जसाराम, वादी जीवणराम, प्रतिवादी संख्या 94 लिछमणराम व प्रतिवादी संख्या 67 भीयाराम आपस में सगे भाई है व हराराम जी के पुत्र है। जसाराम फौत हो चुके है उनके जीवित वारिशान उनकी पत्नी हारकी प्रतिवादी संख्या 119 है। प्रतिवादी नारायणराम व जसाराम के आल औलाद नही है। वाद पद संख्या 2 से 6 में वर्णित वादी के हिस्से की भूमि व प्रतिवादीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पूर्व में उनके पिता हराराम जी के नाम से खातेदारीसुदा थी तथा हराराम जी फौत होने पर वाद पद संख्या 2 से 6 में वर्णित वादी

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

के हिस्से की भूमि व प्रतिवादीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की वर्णितानुसार हिस्से की भूमि उपरोक्त सभी के नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा दर्ज हुई। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की वाद पद संख्या 2 से 6 में वर्णितानुसार यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए, बी, सी, डी, ई पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 का वाद पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी.सी.डी.ई का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 के मध्य आज दिन तक न तो मौखिक बंटवाडा हुआ है व न ही लिखित व विधिवत बंटवाड़ा हुआ है व न ही राजस्य नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में सयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी.सी.डी, ई का विधिवत बंटवाड़ा किया। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए, बी, सी, डी, ई के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 02.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क डी पर बिना बंटवाड़ा किये व बिना आवासीय संपरिवर्तन किये ही विशेष भू भाग पर रहवास हेतु मकान का निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया। इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क डी पर मकान के निर्माण हेतु नीवे खुदवाई तथा पत्थर भी डलवाये जिसके संबंध में फोटोग्राफ याद के साथ पेश है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 को उक्त निर्माण कार्य करने से मना किया तो प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य को बंद नहीं किया तथा वादी को इस आशय की धमकी दी कि यदि वादी प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112 119 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को कानूनी कार्यवाही कर रूकवाने की कोशिश की

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तो प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 वादपत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि उनके हक व हिस्से की भूमि को बिना विधिवत बंटवाड़ा किये व वादी की बिना सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी, सी, डी, ई में स्थित वादी के हक व हिस्से से वंचित कर देंगे तथा मौके से जबरन बेदखल कर देंगे। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 को वाद पद संख्या 2 से 6 में वर्णित यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों व संम्पति अन्तरण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों तथा धारा 22 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिना बंटवाड़ा किये व बिना वादी की सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। शेष प्रतिवादीगण भी प्रतिवादी संख्या 46, 67, 94, 112, 119 द्वारा किये जाने वाले उक्त गैर कानूनी कृत्य का समर्थन कर रहे है तथा विधिवत् बंटवाड़ा किये जाने से इन्कार कर दिया है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 02.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 द्वारा बिना बंटवाडा किये ही वादग्रस्त भूमि डी के विशेष भू भाग पर निर्माण कार्य करने तथा वादी द्वारा निर्माण कार्य रोकने का निवेदन करने के पश्चात् भी लगातार निर्माण कार्य करने तथा वादी को इस आशय की धमकी देने पर की प्रतिवादीगण संख्या 46, 67, 94, 112, 119 वाद पद संख्या 2 से 6 में वर्णित यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा किये व बिना वादी की सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी. सी.डी.ई के संबंध में प्राप्त हक व हिस्से से वंचित कर देंगे तथा मौके से जबरन बेदखल कर देंगे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए. बी.सी.डी.ई के संबंध में आज दिन तक विंधिवत् बंटवाड़ा करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 151 तक सहमत नही होने पर बमुकाम ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा मै पैदा हुआ जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए खसरा नम्बर 164 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 3.9156 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.9642 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/45 वां हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क बी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 9.2145 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 9.3520 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/144 वां हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क सी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 8.6482 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 8.7210 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/20 वां हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क डी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.4045 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 7.8473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/2 रकबा 0.5663 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.8262 हैक्टेयर में स्थित बादी के 1/15 वां हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जाये तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ई ासरा नम्बर 101 रकबा 13.5588 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 2.8234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 2.2409 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 18.6231 हैक्टेयर में स्थित वादी के 1/5 वां हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 151 को जरिये समन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रतिवादी सं. 1 से 45 व 47 से 66 व 68 से 93 व 95 से 111 व 113 से 118 व 120 से 155 का नाम वाद शीर्षक से हटाये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत वाद बंटवाडा के अनुतोष तक नये वाद की अनुमति के साथ विड्राल करने हेतु अन्तर्गत धारा 23 नियम 1 व 3 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट की हद तक नये वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए जरिये विड्राल खारिज किये जाने का आदेश फरमावें। अतः वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पर सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1नियम 10(2) सीपीसी तथा अन्तर्गत धारा 23 नियम 1 व 3 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 151 के विरूद्ध बंटवाडा(53 आरटी एक्ट) का वाद नये वाद की अनुमति के साथ विड्रोल जरिये खारिज किया जाता है। अतः वादी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 46, 67, 94, 112 व 119 के विरूद्ध प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ही चलाना चाहता है। वादी अधिवक्ता ने संशोधित वाद पत्र शीर्षक पेश किया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की पूर्व में तामिल हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध दिनांक 27.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल. में लाई जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर जीवणराम पुत्र अचलाराम द्वारा वादी साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता 25 ग्राम बिनावास की चालु जमाबंदी, प्रदर्श 2 खाता सं. 222 ग्राम बिनावास की चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, प्रदर्श 3 खाता सं. 383 ग्राम बिनावास की चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, प्रदर्श 4 खाता सं. 232 ग्राम बिनावास की चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, प्रदर्श 5 म्यूटेशन सं. 287 ग्राम बिनावास आदि प्रदर्शित करवाये गये।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र पर मनन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि

भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादीगण सं. 46, 67, 94, 112, 119 जो संशोधित वाद शीर्षक के बाद प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3, 4, 5 के तौर पर है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा कृषि भूमि बिना बंटवाडा किये व बिना आवासीय संपरिवर्तन किये ही विशेष भू भाग पर रहवास हेतु मकान का निर्माण कार्य दिनांक 02.01.2021 को करवाना शुरू कर दिया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 को उक्त निर्माण कार्य करने से मना किया जो प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य को बंद नहीं किया तथा वादी को इस आशय की धमकी दी कि यदि वादी प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को कानूनी कार्यवाही कर रूकवाने की कोशिश की तो प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 वादपत्र के पद सं. 2 से 6 में वर्णित यानि खाता सं. 25, 386, 222, 383, 232 की चालु जमाबंदी संवत् 2074–2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि उनके हक व हिस्से की भूमि को बिना विधिवत बंटवाडा किये व वादी की बिना सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 25 में वादीगण व प्रतिवादीगण रेकर्डेड सहखातेदार के रूप में इन्द्राज है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 386 में वादीगण व प्रतिवादीगण रेकर्डेड सहखातेदार के रूप में इन्द्राज है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 222 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व 5 रेकर्डेड सहखातेदार के रूप में इन्द्राज है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 383 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व 5 रेकर्डेड सहखातेदार के रूप में इन्द्राज है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 232 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व 5 रेकर्डेड सहखातेदार के रूप में इन्द्राज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है–

दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश–

''कोई अभिधारी, जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है वादी सम्पूर्ण आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास करने को बतौर प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने एवं निर्माण कार्य करने की प्रबल आशंका से

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर ...अधिकारी

संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वाद वादी बखूबी साबित नही होता है अतः वाद वादी खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
जीवणराम अचलाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 07/2021 **दिनांक** :- [illegible]

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या-1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नरं		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा